

न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)**पीठासीन अधिकारी - आलोक रंजन (आई.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या 008/2024(रसद) (GCMS 2024/179)	दायर दिनांक 09.09.2024	निर्णय दिनांक 26.03.2025
---	---------------------------	-----------------------------

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये हितेश जोशी प्रवर्तन अधिकारी,
चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी**बनाम**

साकिर हुसैन पिता निजामुद्दीन मंसूरी उम्र 40 वर्ष निवासी
कोतवाली के पीछे निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
(राज.)

विपक्षी

उपस्थिति :- प्रवर्तन अधिकारी (श्रीमती सुमन तिवारी)
राजेन्द्र सुखवाल

पैरोकार सरकार
विपक्षी

**प्रार्थना अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6-ए सपठित
MS & HSD ऑर्डर 2005 के तहत जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत**

-:: निर्णय ::-

प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि प्रवर्तन अधिकारी हितेश जोशी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6-ए सपठित MS & HSD ऑर्डर 2005 में दिनांक 24.08.2024 को सचूना के आधार पर पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध व्यापार/परिवहन भण्डारण के संबंध में नीमच-निम्बाहेडा हाईवे रानीखेडा चौराहा पर की गई कार्यवाही में विपक्षी से जब्तशुदा 1000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के निस्तारण हेतु आवेदन प्रस्तुत कर की और से पेश कर निवेदन किया गया कि विपक्षी द्वारा किया गया कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6-ए सपठित MS & HSD ऑर्डर 2005 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय है, एवं अंत में प्रार्थना की गई कि अभिग्रहित जब्तशुदा सामग्री 1000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ व अन्य सामग्री को राजसात करने की कृपा करें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। दिनांक 01.10.2024 को विपक्षी की और से उनके अधिवक्ता हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा प्रकरण में कोई लिखित जवाब/अभिवचन प्रस्तुत नहीं कर सीधे बहस पत्रावली का निवेदन किया गया।



दिनांक 23.10.2024 को विपक्षी साकिर हुसैन पिता निजामुद्दीन मंसूरी निवासी ओकाब मौहल्ला, पुराना पोस्ट ऑफिस निम्बाहेडा ने पुलिस थाना सदर निम्बाहेडा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 332/2024 दिनांक 24.08.2024 अपराध अन्तर्गत धारा 3 व 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995 में जब्तशुदा वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या RJ 27 GA 0744 जिसके इंजन नंबर GA51L66389 चेचीस नंबर MA1ZA2GAA51L41515 की सिपुर्दगी बाबत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 497-503 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत पेश किया जो कि प्रकरण संख्या 077/2024(रे.वि.) पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अपने प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने निवेदन किया गया कि प्रार्थी पुलिस थाना सदर निम्बाहेडा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 332/2024 दिनांक 24.08.2024 अपराध अन्तर्गत धारा 3 व 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995 में जब्तशुदा वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या RJ 27 GA 0744 जिसके इंजन नंबर GA51L66389 चेचीस नंबर MA1ZA2GAA51L41515 के पंजीकृत स्वामी छोगाराम गमेती पिता कीकाराम गमेती निवासी कुचौली जिला राजसमंद है। उक्त पंजीकृत स्वामी से दिनांक 13.08.2016 को जरिये विक्रय इकरार क्रेता फिरोज खान पिता मुश्ताक अहमद निवासी मल्लातलाई रजा कॉलोनी उदयपुर द्वारा खरीद कर कब्जा प्राप्त किया तदुपरांत क्रेता फिरोज खान ने उक्त वाहन को दिनांक 23.01.2024 को प्रार्थी साकिर हुसैन पिता निजामुद्दीन मंसूरी निवासी ओकाब मौहल्ला, पुराना पोस्ट ऑफिस निम्बाहेडा को विक्रय कर दिया तभी से क्रेता साकिर हुसैन व उसके अभिकर्तागण उक्त वाहन का उपयोग-उपभोग करते चले आ रहे हैं। उक्त वाहन को पुलिस थाना सदर निम्बाहेडा द्वारा अपनी तहवील में लिया गया है, अतः प्रार्थी वाहन को अधिकृत स्वामी की सिपुर्दगी में दिलवाया जावे। प्रकरण में कोई आवश्यकतानुसार हो तो आपके आदेशानुसार प्रार्थी उपस्थित हो जाउंगा एवं प्रार्थना की गई कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के वाहन वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या RJ 27 GA 0744 जिसके इंजन नंबर GA51L66389 चेचीस नंबर MA1ZA2GAA51L41515 को सिपुर्द कराये जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 497-503 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ एवं पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना सदर निम्बाहेडा से प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 497-503 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 पर टिप्पणी/अभिमत प्राप्त किया गया। इस पर जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/रसद/विधि/2024/851 दिनांक 10.12.2024 एवं थानाधिकारी पुलिस थाना सदर निम्बाहेडा से पत्रांक/701 दिनांक 18.02.2025 से टिप्पणी/अभिमत प्रेषित किया गया है जो कि प्रकरण संख्या 077/2024 (रे.वि.) में शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा अवगत कराया गया है कि पुलिस थाना सदर निम्बाहेडा का अनुसंधान पूर्ण हो चुका हो तो नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है। इसके साथ ही थानाधिकारी पुलिस थाना सदर निम्बाहेडा द्वारा अवगत कराया गया कि जब्तशुदा वाहन के अनुसंधान किया जा चुका है एवं उक्त वाहन की कोई आवश्यकता नहीं है।

हस्तगत दोनो प्रकरणों के पुलिस थाना सदर निम्बाहेडा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 332/2024 दिनांक



24.08.2024 अपराध अन्तर्गत धारा 3 व 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995 में जब्तशुदा वाहन के निस्तारण का प्रश्न निहित है, ऐसी स्थिति उक्त दोनों प्रकरणों में एक साथ सुनवाई की जाकर निर्णय पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है, अतः दोनों में एक साथ सुनवाई की जाकर उभयपक्षकारान द्वारा की गई बहस पत्रावली को सुना गया।

सर्वप्रथम पैरोकार सरकार आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि विपक्षी द्वारा अवैध रूप से बाहरी राज्यों से पेट्रोलियम पदार्थ यहां लाकर अन्य टैंकरों में निकाल कर खरीद फरोक्त का धन्धा करना तथा पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन एवं भण्डारण करने के साथ ही अवैध तरीके से विक्रय करना, पेट्रोलियम पदार्थ भरने तथा खाली करने के उपकरणों को अवैध तरीके से रखने का किया गया कृत्य पेट्रोलियम पदार्थ की अवैध रूप से कालाबाजारी करने से संबंधित होने एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात करने का आदेश फरमाया जावे।

इस पर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी (प्रार्थना पत्र 077/2024 (रि.वि.)) द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि प्रार्थी वाहन का अधिकृत स्वामी है एवं प्रकरण में वाहन की कोई आवश्यकता नहीं है एवं आवश्यकतानुसार होने पर आदेशानुसार प्रार्थी उपस्थित हो जाऊंगा एवं प्रार्थना की गई कि प्रार्थना-पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के वाहन वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या RJ 27 GA 0744 जिसके इंजन नंबर GA51L66389 चेचीस नंबर MA1ZA2GAA51L41515 को सिपुर्द कराये जाने का आदेश प्रदान करावे। इसी ईशतदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता विपक्षी ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की।

हमने पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर चिंतन-मनन किया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रार्थी पैरोकार सरकार इस तथ्य को निर्विवाद रूप से साबित कराया गया है कि उक्त जब्तशुदा वाहन में पेट्रोलियम पदार्थ है जिसे उभयपक्ष द्वारा स्वीकार किया गया है, जबकि प्रार्थी (प्रार्थना पत्र 077/2024 (रि.वि.)) द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रकरण में जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ से विपक्षी का कोई संबंध/सरोकार नहीं है एवं विपक्षी द्वारा जब्तशुदा वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर संख्या RJ 27 GA 0744 जिसके इंजन नंबर GA51L66389 चेचीस नंबर MA1ZA2GAA51L41515 को सिपुर्द कराये जाने की प्रार्थना की गई है, ऐसी स्थिति में वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या RJ 27 GA 0744 जिसके इंजन नंबर GA51L66389 चेचीस नंबर MA1ZA2GAA51L41515 प्रार्थी साकिर हुसैन पिता निजामुद्दीन मंसूरी निवासी ओकाब मौहल्ला, पुराना पोस्ट ऑफिस निम्बाहेडा जो कि वाहन का अधिकृत स्वामी है को सिपुर्द किया जाना उचित प्रतीत होता है। इसके साथ ही प्रकरण विपक्षी द्वारा डीजल पेट्रोलियम पदार्थ से किसी भी प्रकार का कोई संबंध/सरोकार नहीं होना अवगत कराया गया है, जिससे विपक्षी द्वारा अपने पास रख-रखाव भण्डारण करने, विक्रय करने तथा परिवहन करने संबंधी कोई वैध दस्तावेज व लाईसेंस नहीं होना जाहिर होता, ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं साक्ष्य के आधार पर विपक्षी द्वारा बाहर से अवैध रूप से टैंकरों में डीजल भरकर लाना तथा अवैध तरीके से अपने कब्जे में रखना, विक्रय करना, पेट्रोलियम



पदार्थ का अवैध परिवहन, भण्डारण तथा उनकी कालाबाजारी करना प्रमाणित/सिद्ध पाया जाने से जब्तशुदा 1000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ एवं अन्य सामग्री आदि राजसात किये जाने योग्य है, ऐसी स्थिति में पुलिस थाना सदर निम्बाहेडा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 332/2024 दिनांक 24.08.2024 अपराध अन्तर्गत धारा 3 व 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995 में जब्तशुदा सामग्री का निस्तारण किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम का निस्तारण करते हुए पुलिस थाना सदर निम्बाहेडा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 332/2024 दिनांक 24.08.2024 अपराध अन्तर्गत धारा 3 व 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995 में जब्तशुदा वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर RJ 27 GA 0744 जिसके इंजन नंबर GA51L66389 चेचीस नंबर MA1ZA2GAA51L41515 को प्रार्थी साकिर हुसैन पिता निजामुद्दीन मंसूरी निवासी ओकाब मौहल्ला, पुराना पोस्ट ऑफिस निम्बाहेडा को रुपये 07,00,000/- अक्षरे सात लाख रुपये के जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा पर सिपुर्द किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा प्रकरण में जब्तशुदा 1000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ एवं अन्य सामग्री को राजसात किये जाने का आदेश दिया जाता है। जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर निम्बाहेडा से जब्तशुदा 1000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ एवं अन्य सामग्री आदि प्राप्त कर, नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़, थानाधिकारी पुलिस थाना सदर निम्बाहेडा को सूचनार्थ, पालनार्थ भिजवाई जावें। निर्णय की प्रमाणित प्रति पत्रावली संख्या 077/2024 (रे.वि.) उनवानी साकिर बनाम सरकार वगैराह में रखी जावें। विपक्षी द्वारा वांछित जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण संख्या 077/2024 (रे.वि.) उनवानी साकिर बनाम सरकार वाहन सिपुर्दगी बाबत आदेश जारी किया जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 26.03.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

